

लोकतंत्र को सशक्त बनाने में चुनावी सुधारों की भूमिका

डॉ. अम्बुजेश कुमार मिश्र

असिस्टेंट प्रोफेसर (अतिथि संकाय), राजनीति विज्ञान विभाग, जीवछ महाविद्यालय, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार

सारांश

भारतीय लोकतंत्र की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ इसकी चुनाव प्रणाली है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के बिना लोकतंत्र केवल एक औपचारिक व्यवस्था बनकर रह जाता है। लेकिन भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, समावेशी और उत्तरदायी बनाए रखने के लिए निरंतर सुधार आवश्यक हैं। इस संदर्भ में चुनावी सुधार केवल तात्कालिक तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरगामी प्रक्रिया हैं। पिछले कुछ दशकों में भारत में अनेक महत्वपूर्ण चुनावी सुधार लागू किए गए हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM), वोटर वेरीफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT), मतदाता पहचान पत्र, उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा, चुनावी खर्च की निगरानी, और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को बनाए रखने की पहल शामिल हैं। इन सुधारों ने न केवल मतदाता की भागीदारी को सशक्त किया है, बल्कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता, गति और विश्वसनीयता में भी वृद्धि की है।¹

चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका इन सुधारों को लागू करने और उन्हें कारगर बनाने में केंद्रीय रही है। परंतु इस प्रक्रिया को पूरी तरह सफल बनाने के लिए अभी भी कई चुनौतियाँ मौजूद हैं। धनबल और बाहुबल का प्रभाव, राजनीतिक दलों की आंतरिक तानाशाही, चुनावी फंडिंग की अपारदर्शिता, और मतदाता जागरूकता की कमी—ये सभी लोकतंत्र को कमजोर करने वाले तत्व हैं। इनसे निपटने के लिए व्यापक, संस्थागत और वैधानिक सुधारों की ज़रूरत है। एक समावेशी लोकतंत्र के निर्माण के लिए केवल तकनीकी सुधार पर्याप्त नहीं हैं। आवश्यक है कि मतदाता को केंद्र में रखकर सुधारों की दिशा तय की जाए—मतदाता सूची की शुद्धता, दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं के लिए विशेष प्रबंध, और युवा वर्ग की भागीदारी को बढ़ावा देने जैसे उपाय अनिवार्य हो गए हैं। साथ ही, प्रस्तावित सुधार जैसे *एक राष्ट्र, एक चुनाव, ऑनलाइन वोटिंग*, और *राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार (RTI) के अंतर्गत लाना*, भविष्य की चुनावी पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकते हैं।¹

कीवर्ड्स :- लोकतंत्र, चुनावी सुधार, भारत निर्वाचन आयोग, पारदर्शिता, जवाबदेही, ईवीएम और वीवीपैट, आदर्श आचार संहिताआपराधिक छवि वाले प्रत्याशी

परिचय

लोकतंत्र का सार जनसामान्य की भागीदारी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और सत्ता के उत्तरदायित्व में निहित होता है। भारतीय संविधान ने इन मूल्यों को सुनिश्चित करने के लिए एक सशक्त चुनाव प्रणाली की परिकल्पना की है, जो मतदाताओं को अपनी पसंद के अनुसार प्रतिनिधियों को चुनने का संवैधानिक अधिकार देती है। परंतु केवल चुनाव कराना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और समावेशी बनाना लोकतंत्र की सच्ची कसौटी है। इसी कारण भारत में चुनावी सुधारों की आवश्यकता सदैव बनी रही है।

भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक राष्ट्र में चुनाव केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक सहभागिता का उत्सव होता है। परंतु जैसे-जैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया जटिल होती गई है, उसमें कई चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं—जैसे कि धनबल और बाहुबल का बढ़ता प्रभाव, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी, मतदाता सूची की गड़बड़ियाँ, चुनावी फंडिंग की अपारदर्शिता, और राजनीतिक दलों की जवाबदेही का अभाव। इन समस्याओं ने भारतीय लोकतंत्र की निष्पक्षता और उत्तरदायित्व पर प्रश्नचिह्न लगाए हैं। ऐसे परिप्रेक्ष्य में चुनावी सुधार लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक हो जाते हैं। चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर की गई पहल—जैसे EVM का प्रयोग, VVPAT की शुरुआत, प्रत्याशियों की आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा, और चुनाव खर्च की निगरानी—ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का कार्य किया है। इन सुधारों से चुनावों की प्रक्रिया अधिक तकनीकी, सुव्यवस्थित और विश्वसनीय बनी है। चुनावी सुधार केवल तकनीकी या कानूनी परिवर्तन नहीं हैं, बल्कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के प्रतीक हैं। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र केवल चुनावी बहुमत का खेल न रहकर एक उत्तरदायी और जनहितकारी शासन व्यवस्था के रूप में विकसित हो। इन सुधारों के माध्यम से मतदाता अधिक जागरूक हुआ है, मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई है, और जनप्रतिनिधियों पर नैतिक दबाव भी बढ़ा है। आने वाले समय में प्रस्तावित सुधार—जैसे एक राष्ट्र, एक चुनाव, ऑनलाइन वोटिंग, और राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के अंतर्गत लाना—लोकतंत्र को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। परंतु इन सुधारों की सफलता केवल विधायी पहल पर नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति और नागरिक चेतना पर भी निर्भर करती है।¹

चुनाव आयोग की संरचना और कार्य

भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य हैं। इन चुनावों की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने हेतु भारत के संविधान ने एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था – निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) – की स्थापना की है। यह संस्था संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत गठित की गई थी, जिसे संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का आयोजन निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चुनाव आयोग की प्रारंभिक संरचना में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief

Election Commissioner) का प्रावधान था, परंतु 1993 में इसमें संशोधन कर दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई, जिससे यह एक त्रि-सदस्यीय आयोग बन गया। वर्तमान में, यह आयोग एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों से मिलकर बना होता है। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा इनकी सेवा-शर्तें और कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होते हैं। यह आयोग पूर्णतः स्वायत्त होता है और इसकी स्वतंत्रता को संविधान द्वारा संरक्षित किया गया है।²

चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer – CEO) तैनात किया जाता है, जो राज्य स्तर पर आयोग का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में *निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी (ERO)* और *बूथ लेवल अधिकारी (BLO)* की नियुक्ति की जाती है, जो चुनाव संबंधी कार्यों को स्थानीय स्तर पर संपन्न कराते हैं।

चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

- निर्वाचन कार्यक्रमों की योजना बनाना और तिथियों की घोषणा करना।
- मतदाता सूची का संधारण, अद्यतन और पुनरीक्षण करना।
- राजनीतिक दलों का पंजीकरण और उनके प्रतीकों का निर्धारण करना।
- चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) का प्रवर्तन सुनिश्चित करना।
- चुनाव खर्च की निगरानी करना और रिपोर्ट प्राप्त करना।
- मतदान और मतगणना प्रक्रिया की निगरानी और निष्पक्षता बनाए रखना।
- मतदाता जागरूकता अभियान चलाना, जैसे कि SVEEP (Systematic Voters' Education and Electoral Participation)।

आयोग समय-समय पर **चुनावी सुधारों** के लिए **संसद और विधि आयोग को सुझाव** भी देता है। इसके उदाहरणों में "एक राष्ट्र, एक चुनाव", आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की अयोग्यता, और *ऑनलाइन वोटिंग* जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।²

चुनाव कराने की प्रक्रिया

भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में चुनाव कराना एक जटिल किंतु सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, जो नागरिकों को शासन में भागीदारी का अवसर प्रदान करती है। यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत

गठित **भारत निर्वाचन आयोग** द्वारा संचालित की जाती है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत **चुनाव कार्यक्रम की घोषणा** से होती है, जिसमें नामांकन की तिथि, मतदान की तिथि और मतगणना की तिथि शामिल होती है। इसके बाद **उम्मीदवारों के नामांकन** की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिसके अंतर्गत वे निर्धारित प्रपत्र में अपना नामांकन पत्र भरते हैं और जमानत राशि जमा करते हैं। इसके पश्चात निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच करता है और वैध उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित करता है। इसके बाद आता है **चुनाव प्रचार** का चरण, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस चरण के दौरान उम्मीदवार और राजनीतिक दल जनसभाओं, रैलियों, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से मतदाताओं से संपर्क करते हैं। इस दौरान चुनाव आयोग की ओर से **आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct)** लागू होती है, जिसका सभी राजनीतिक दलों को पालन करना अनिवार्य होता है।³

चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद **मतदान** की प्रक्रिया शुरू होती है। भारत में मतदान के लिए **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM)** और **वीवीपैट (VVPAT)** का उपयोग किया जाता है, जिससे मतदान में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित होती है। मतदाताओं की पहचान के लिए **मतदाता पहचान पत्र (EPIC)** और मतदाता सूची का मिलान किया जाता है। मतदान के बाद **मतगणना** की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें प्रत्येक ईवीएम से डाले गए मतों की गणना की जाती है। वीवीपैट की पर्चियों का चयनित बूथों पर मिलान किया जाता है ताकि परिणामों की विश्वसनीयता बनी रहे। अंततः निर्वाचन अधिकारी द्वारा विजयी प्रत्याशी की घोषणा की जाती है और उसे **निर्वाचन प्रमाणपत्र** प्रदान किया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया की सफलता में **SVEEP (Systematic Voters' Education and Electoral Participation)** जैसे कार्यक्रमों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है, जो नागरिकों विशेषकर युवा, महिलाएं और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक बनाते हैं।³

मौजूदा तकनीकी और प्रक्रियात्मक व्यवस्थाएँ

भारत की चुनाव प्रणाली में विगत वर्षों में जो तकनीकी और प्रक्रियागत नवाचार हुए हैं, उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुलभ और उत्तरदायी बनाया है। निर्वाचन आयोग ने बदलते समय के साथ आधुनिक तकनीक को अपनाकर चुनाव प्रक्रिया में उल्लेखनीय सुधार किए हैं। सबसे प्रमुख तकनीकी उपलब्धि है **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM)** का उपयोग, जिसे पहली बार 1982 में परीक्षण के रूप में प्रयोग किया गया और 2004 से पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू किया गया। ईवीएम के उपयोग से मतपत्रों की अनियमितताओं, धांधली और मतगणना में देरी की समस्याओं में कमी आई। इसके साथ वर्ष 2013 में **वीवीपैट (VVPAT)** प्रणाली को जोड़ा गया, जिससे मतदाता को यह सुनिश्चित करने का अवसर मिलता है कि उसका मत सही प्रत्याशी को ही गया है। एक और महत्वपूर्ण तकनीकी नवाचार है **मतदाता पहचान पत्र (EPIC)** की अनिवार्यता, जिससे फर्जी मतदान, डुप्लीकेट प्रविष्टियों और बोगस वोटिंग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है। इसके साथ-साथ चुनाव आयोग ने **राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP)** और **Voter Helpline App** जैसी

डिजिटल सुविधाओं की शुरुआत की है, जिनके माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने, पता बदलने, या जानकारी देखने की प्रक्रिया सरल हो गई है।

प्रक्रियात्मक सुधारों की बात करें तो **बूथ स्तर अधिकारी (BLO)** की नियुक्ति से मतदाता सूचियों की त्रुटियों में कमी आई है और जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया सशक्त हुई है। **नामांकन प्रक्रिया का डिजिटलीकरण**, **चुनाव व्यय की निगरानी हेतु ऑनलाइन पोर्टल**, और **आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत हेतु cVIGIL App** जैसे उपायों से प्रणाली में पारदर्शिता और निगरानी की क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। इसके अतिरिक्त **दिव्यांग मतदाताओं** के लिए व्हीलचेयर, रैंप, ब्रेल मतदाता सूची जैसी व्यवस्थाएँ की गई हैं, जो समावेशी लोकतंत्र की दिशा में सकारात्मक कदम हैं। **MCMC (Media Certification and Monitoring Committee)** के माध्यम से मीडिया और सोशल मीडिया पर नियंत्रण भी एक नई प्रक्रियागत व्यवस्था है।⁴

चुनावी सुधारों की आवश्यकता

भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि स्वतंत्रता के बाद से चुनावी प्रणाली में कई सुधार हुए हैं, फिर भी वर्तमान समय में अनेक ऐसी चुनौतियाँ हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बाधित कर रही हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक और ठोस चुनावी सुधारों की आवश्यकता है। सबसे बड़ी समस्या है **धनबल और बाहुबल का बढ़ता प्रभाव**। कई बार देखा गया है कि उम्मीदवार बड़े पैमाने पर अवैध धन का उपयोग कर चुनाव प्रचार करते हैं, जिससे आम उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया जाता है। इसके अलावा, **अपराधियों का राजनीति में प्रवेश** भी एक गंभीर चिंता है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को टिकट देना दलों के चुनावी स्वार्थ को दर्शाता है, जिससे लोकतंत्र का नैतिक आधार कमजोर होता है। एक अन्य अहम मुद्दा है **चुनावी फंडिंग की पारदर्शिता की कमी**। वर्तमान प्रणाली में राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे और उनके स्रोत स्पष्ट नहीं होते, जिससे **कालाधन के प्रवेश** की संभावना बनी रहती है। यह चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित करता है और मतदाता के भरोसे को भी कमजोर करता है।

मतदाता सूचियों में गड़बड़ियाँ भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। लाखों मतदाता या तो सूची में नाम न होने के कारण वोट नहीं डाल पाते या फिर एक ही नाम कई जगह दर्ज होने से फर्जी मतदान की आशंका बढ़ जाती है। इस समस्या को तकनीकी उपायों से सुधारने की आवश्यकता है। **राजनीतिक दलों की आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की कमी** भी एक बड़ी बाधा है। अधिकांश दलों में नेतृत्व का चुनाव पारदर्शी ढंग से नहीं होता और निर्णय प्रक्रिया कुछ व्यक्तियों तक सीमित रहती है। इससे जनता की अपेक्षाओं और पार्टी के कार्यों के बीच दूरी बढ़ती है।⁵

धनबल, बाहुबल और अपराधीकरण की समस्या:

चुनावों में धनबल का अत्यधिक प्रयोग एक प्रमुख समस्या बन चुकी है। प्रत्याशी और राजनीतिक दल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बड़े पैमाने पर धन का प्रयोग करते हैं। चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित व्यय सीमा के बावजूद इसे पार करने के अनेक उदाहरण सामने आते हैं। इसके साथ ही बाहुबलियों या अपराधिक छवि वाले नेताओं की चुनावों में भागीदारी बढ़ी है। 2019 के आम चुनाव में लगभग 43% निर्वाचित सांसदों के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें से कई गंभीर प्रकृति के थे। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र को भीतर से कमजोर करती है।⁶

मतदाता सूचियों में गड़बड़ियाँ:

चुनावों के दौरान मतदाता सूची में नाम न होने की शिकायतें आम हैं। कई बार मृत व्यक्तियों के नाम सूची में पाए जाते हैं, वहीं पात्र नागरिकों का नाम सूची से गायब होता है। इस स्थिति में SVEEP और BLO स्तर पर सुधारात्मक प्रयास किए गए हैं, लेकिन अब भी यह व्यवस्था तकनीकी अपूर्णता से ग्रस्त है।⁶

चुनावी फंडिंग की पारदर्शिता का अभाव:

राजनीतिक दलों की आय और व्यय की जानकारी अधूरी और अपारदर्शी होती है। चुनावी बांड जैसी योजनाएँ भी आलोचना का विषय रही हैं, क्योंकि इनमें दाताओं की पहचान गुप्त रहती है, जिससे बड़े कॉर्पोरेट्स और हितधारकों का दबाव राजनीति पर बढ़ सकता है। इसके समाधान हेतु सार्वजनिक वित्त पोषण और राजनीतिक दलों की ऑडिट प्रणाली को सख्त बनाने की मांग उठ रही है।

राजनीतिक दलों की जवाबदेही:

राजनीतिक दलों की आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उम्मीदवार चयन की पारदर्शिता, वित्तीय रिपोर्टिंग और सामाजिक जवाबदेही की कमी भी चिंताजनक है। चुनाव आयोग को दलों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अधिक वैधानिक अधिकार दिए जाने की आवश्यकता है। साथ ही, RTI कानून के दायरे में राजनीतिक दलों को लाने की माँग भी लंबे समय से उठती रही है।⁷

प्रमुख चुनावी सुधार

भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए समय-समय पर विविध क्षेत्रों में चुनावी सुधारों को लागू किया गया है। इन सुधारों को चार मुख्य वर्गों में बाँटा जा सकता है: तकनीकी सुधार, कानूनी सुधार, संस्थागत सुधार, और प्रस्तावित सुधार। ये सभी पहले भारतीय निर्वाचन प्रणाली को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी बनाने की दिशा में अग्रसर हैं।

1. तकनीकी सुधार

2004 से भारतीय चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया, जिससे मतगणना की प्रक्रिया तेज और त्रुटिहीन बनी। इसके साथ वर्ष 2013 से वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) को जोड़ा गया, जो मतदाता को उनके मत की पुष्टि करने का अवसर देता है। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP), वोटर हेल्पलाइन ऐप, और eVIGIL ऐप जैसे डिजिटल साधनों ने मतदाता पंजीकरण, शिकायत निवारण और पारदर्शिता में भारी सुधार लाया है। इससे नागरिकों की भागीदारी भी बढ़ी है।

2. कानूनी सुधार

चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों को अपने आपराधिक मामलों का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया है, जिससे मतदाता जागरूक होकर निर्णय ले सकें। इसके अतिरिक्त, चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा, खर्च के विवरण का सार्वजनिक प्रकटन, और कालाधन की रोकथाम के लिए सख्त दिशानिर्देश लागू किए गए हैं। हालांकि इन नियमों के अनुपालन और निगरानी में अब भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

3. संस्थागत सुधार

भारत का चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, लेकिन इसकी स्वायत्तता और निर्णयों की प्रभावशीलता को और सुदृढ़ करने हेतु सुधार आवश्यक हैं। चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के पालन की सख्ती बढ़ाई गई है, जिससे राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की गतिविधियों पर नियंत्रण संभव हो सका है।

4. प्रस्तावित सुधार

भविष्य में लागू किए जाने वाले सुधारों में "एक राष्ट्र, एक चुनाव" (One Nation, One Election) की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो संसाधनों की बचत और प्रशासनिक स्थिरता सुनिश्चित कर सकती है। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन वोटिंग, प्रवासी मतदाताओं की सुविधा, तथा राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार (RTI) के दायरे में लाने जैसे सुझाव भी विचाराधीन हैं। इन सभी प्रस्तावों का उद्देश्य लोकतंत्र को अधिक सहभागी और पारदर्शी बनाना है। इन सभी सुधारों ने लोकतंत्र को अधिक प्रभावशाली और उत्तरदायी बनाने की दिशा में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है, परंतु उनकी सफलता क्रियान्वयन और राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करती है।⁸

➤ चुनावी सुधारों का प्रभाव

भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में चुनावी सुधारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। समय-समय पर किए गए तकनीकी, कानूनी और प्रक्रियात्मक सुधारों ने चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समावेशी

और उत्तरदायी बनाया है। इन सुधारों का सीधा प्रभाव नागरिक सहभागिता, प्रत्याशियों की गुणवत्ता, जन प्रतिनिधियों की जवाबदेही और लोकतंत्र में जनता के विश्वास पर पड़ा है।

1. मतदान प्रतिशत और नागरिक सहभागिता

एक जीवंत लोकतंत्र में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस दिशा में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया **SVEEP (Systematic Voters' Education and Electoral Participation)** कार्यक्रम निर्णायक सिद्ध हुआ है। यह अभियान ग्रामीण, शहरी, महिला, युवा और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे **Voter Helpline App** और **NVSP पोर्टल** ने भी नए मतदाताओं, विशेषकर युवाओं और प्रवासी नागरिकों, की भागीदारी बढ़ाई है। अब चुनावों में महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर या कभी-कभी उससे भी अधिक देखी जा रही है।

2. प्रत्याशियों की गुणवत्ता में सुधार

चुनावी सुधारों के कारण अब प्रत्याशियों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति, शिक्षा आदि की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य है। इस व्यवस्था से मतदाता प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि की तुलना कर सुविचारित निर्णय ले सकते हैं।⁶ इसके अतिरिक्त, सिविल सोसाइटी और मीडिया द्वारा संचालित प्लेटफॉर्म जैसे **ADR (Association for Democratic Reforms)** आम मतदाता को सूचित निर्णय लेने में सहायता करते हैं। इससे स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवारों को बढ़ावा मिल रहा है।

3. जन प्रतिनिधियों की उत्तरदायित्व भावना

चुनाव जीतने के बाद प्रतिनिधियों से जवाबदेही की अपेक्षा बढ़ी है। अब मतदाता घोषणापत्रों, वादों और कार्यों के आधार पर जनप्रतिनिधियों का आकलन करते हैं। चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता केवल चुनाव पूर्व व्यवहार नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी की भावना को भी रेखांकित करती है। मीडिया और सोशल मीडिया की सतत निगरानी ने इस जवाबदेही को और मजबूती प्रदान की है।

4. लोकतंत्र में जनता का विश्वास

EVM और **VVPAT** जैसी तकनीकों ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई है। मतदाता को यह विश्वास होता है कि उसका वोट सही स्थान पर गया है। चुनाव आयोग की निष्पक्ष भूमिका और न्यायपालिका की निगरानी ने चुनावी प्रक्रिया की साख को बनाए रखा है। साथ ही, जब मतदाता मतदान को केवल अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य समझते हैं, तब लोकतंत्र और भी सशक्त बनता है।⁹

➤ चुनौतियाँ और आलोचनाएँ

भारतीय लोकतंत्र की मजबूती में चुनावी सुधारों की भूमिका अहम रही है, फिर भी अनेक चुनौतियाँ और आलोचनाएँ बनी हुई हैं जो लोकतंत्र को सशक्त बनाने में बाधा डालती हैं। चुनावी सुधारों की प्रगति के बावजूद, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, कानूनों का कमजोर कार्यान्वयन, डिजिटल असमानता और संस्थानों की स्वायत्तता पर बढ़ते दबाव जैसी समस्याएँ लोकतंत्र की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती हैं। इन चुनौतियों को समझना और उनका प्रभावी समाधान खोजना आवश्यक है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत किया जा सके।¹⁰

1. राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी

चुनावी सुधारों को लागू करने में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी सबसे बड़ी बाधा है। चुनाव सुधार अक्सर ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो सीधे राजनीतिक दलों के स्वार्थों से टकराते हैं, जैसे चुनावी खर्च पर नियंत्रण, अपराधीकरण का मुकाबला, और आंतरिक लोकतंत्र का प्रवर्तन। राजनीतिक दल इन सुधारों में संकोच करते हैं क्योंकि ये उनकी चुनावी रणनीतियों और सत्ता संरक्षण को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, चुनावी वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ाने के प्रयासों को अक्सर राजनीतिक दलों की ओर से अवरोध का सामना करना पड़ता है। यह राजनीतिक स्वार्थ, चुनावी सुधारों के कार्यान्वयन में बाधा बनता है और सुधारों की गति को धीमा करता है। सुधारों के प्रति इस नकारात्मक रवैये के कारण जनता में चुनाव प्रक्रिया को लेकर अविश्वास पैदा होता है, जो लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करता है।

2. कानूनों का कमजोर कार्यान्वयन

चुनावी सुधारों के लिए बनाए गए नियम और कानून काफी सशक्त हैं, लेकिन उनका प्रभावी और निष्पक्ष कार्यान्वयन एक बड़ी चुनौती है। भ्रष्टाचार, राजनीतिक दबाव, और प्रशासनिक अक्षमता के कारण नियमों की उचित पालना नहीं हो पाती। उदाहरण के लिए, चुनावी व्यय की निगरानी और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर लगाम लगाने के लिए बनाए गए प्रावधान पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पाते। चुनाव आयोग के पास शक्तियाँ तो हैं, लेकिन संसाधनों की कमी और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण वे पूर्ण रूप से निष्पक्षता के साथ कार्रवाई नहीं कर पाते।

इसके अतिरिक्त, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन लगातार होता रहता है, फिर भी इसका दंडात्मक प्रवर्तन सीमित ही रहता है। यह कमी न केवल चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता को कम करती है, बल्कि मतदाताओं के लिए भी निराशाजनक होती है।

3. डिजिटल असमानता

हाल के वर्षों में चुनावी सुधारों में तकनीकी नवाचार जैसे ई-रजिस्ट्रेशन, Voter Helpline App, और ऑनलाइन शिकायत प्रणाली शामिल हैं, जिन्होंने प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया है। लेकिन डिजिटल असमानता के कारण इन सुधारों का लाभ हर वर्ग और क्षेत्र तक समान रूप से नहीं पहुंच पाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच सीमित है और डिजिटल साक्षरता की कमी है, जिससे तकनीकी सुधारों का उपयोग प्रभावी नहीं हो पाता। डिजिटल असमानता न केवल मतदान प्रक्रिया में भागीदारी को प्रभावित करती है, बल्कि चुनावी सूचना और शिक्षा के प्रसार में भी बाधक बनती है। इससे कमजोर वर्ग और पिछड़े समुदाय चुनावी प्रक्रिया से वंचित रह सकते हैं, जो लोकतंत्र के समावेशी स्वरूप के खिलाफ है।

4. संस्थागत स्वायत्तता पर दबाव

चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थानों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। हालांकि भारत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र माना जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में इसकी स्वायत्तता पर राजनीतिक दबाव की बातें सामने आई हैं। कभी-कभी राजनीतिक दल चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया और अधिकारियों की नियुक्ति पर हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं। यह दबाव चुनाव आयोग की निष्पक्षता को प्रभावित करता है, जो चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है। अगर संस्थागत स्वायत्तता कमजोर होती है तो चुनावी सुधारों का सही मायने में प्रभाव पड़ना मुश्किल हो जाता है।

5. चुनावी अपराधीकरण और धनबल

चुनावों में अपराधीकरण और धनबल का बढ़ता प्रभाव लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। अपराधी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का चुनाव जीतना और चुनाव में धन का असीमित प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्य और चुनावी प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करता है। यह समस्या राजनीतिक सुधारों की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। चुनावी व्यय पर नियंत्रण के बावजूद, अघोषित धन का प्रवाह, नकदी खर्च और काला धन चुनावी प्रक्रिया को दूषित करता है। इससे न केवल सामान्य जनता का लोकतंत्र में विश्वास कमजोर होता है, बल्कि जनप्रतिनिधियों की गुणवत्ता और उत्तरदायित्व भी प्रभावित होता है।

6. सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ

भारत की बहुलतावादी और विविधतापूर्ण सामाजिक संरचना में जाति, धर्म, क्षेत्रीयता, और भाषा आधारित राजनीति का प्रभाव चुनावी सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालता है। राजनीतिक दल अक्सर जातिगत और धार्मिक वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जिससे चुनावी सुधारों के माध्यम से निष्पक्ष और न्यायसंगत

चुनाव कराना मुश्किल हो जाता है। सामाजिक चेतना के इस स्तर पर सुधार भी आवश्यक है ताकि मतदाता न केवल संकीर्ण स्वार्थों के आधार पर निर्णय लें बल्कि लोकतंत्र के व्यापक हित में मतदान करें।¹⁰

सुझाव

भारतीय लोकतंत्र का आधार स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रणाली है। लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए चुनावी सुधार न केवल आवश्यक हैं, बल्कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अपरिहार्य हैं। हालांकि पिछले दशकों में कई सुधार हुए हैं, फिर भी चुनौतियाँ व्यापक हैं। इसलिए नीचे गहराई से ऐसे सुझाव दिए गए हैं, जो चुनावी प्रक्रिया को बेहतर, जवाबदेह, समावेशी और मजबूत बनाने में मदद करेंगे।

1. चुनाव आयोग को संवैधानिक स्वायत्तता और व्यापक शक्तियाँ देना

चुनाव आयोग को लोकतंत्र का संरक्षक माना जाता है। हालांकि इसे संवैधानिक संस्था बनाया गया है, लेकिन आयोग की स्वतंत्रता और शक्तियों का दायरा सीमित है। राजनीतिक दबाव, संसाधनों की कमी और कार्यपालिका के हस्तक्षेप ने इसे कमजोर किया है।

- आयोग को संवैधानिक रूप से पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिए, ताकि वह बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के चुनाव प्रक्रिया पर निर्णय ले सके।
- आयोग के सदस्यों की नियुक्ति पारदर्शी, गैर-राजनीतिक और बहुपक्षीय समिति के माध्यम से होनी चाहिए, जिससे राजनीतिक प्रभाव समाप्त हो।
- आयोग को अधिक वित्तीय संसाधन, मानव संसाधन और तकनीकी सहायता प्रदान की जाए ताकि वह चुनाव के हर चरण को प्रभावी ढंग से संचालित कर सके।
- चुनाव आयोग को ऐसे अधिकार दिए जाएं कि वह राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई कर सके, जिससे चुनाव में अनुशासन आए।

इससे आयोग की निष्पक्षता बढ़ेगी और वह चुनावी अनियमितताओं को रोकने में सक्षम होगा।

2. राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र को अनिवार्य बनाना

राजनीतिक दल लोकतंत्र के स्तंभ हैं, परंतु दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव गंभीर समस्या है। आज भी दलों का निर्णय प्रक्रिया अक्सर एकाधिकार में सीमित रहती है।

- राजनीतिक दलों के संविधान में आंतरिक लोकतंत्र के नियमों को कानूनी रूप से अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिसमें निर्णय लेने, उम्मीदवार चयन और नेतृत्व चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी और लोकतांत्रिक हो।
- उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में पार्टी के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी हो, ताकि बाहुबल या धनबल से प्रभावित चयन रोका जा सके।
- दलों के वित्तीय लेन-देन की भी पारदर्शिता अनिवार्य हो, नियमित ऑडिट हो और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।
- आंतरिक लोकतंत्र से दलों में उत्तरदायित्व और जवाबदेही का भाव उत्पन्न होगा, जो लोकतंत्र की गुणवत्ता बढ़ाएगा।

3. चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता और नियंत्रण के लिए कठोर उपाय

चुनावी धनबल ने लोकतंत्र को कई प्रकार से प्रभावित किया है। काले धन का इस्तेमाल, गुप्त वित्तपोषण, और खर्च की पारदर्शिता की कमी से चुनाव भ्रष्ट और अनुचित बन गए हैं।

- चुनावी फंडिंग के सभी स्रोतों का सार्वजनिक लेखा-जोखा अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिसमें व्यक्तिगत दानदाताओं के नाम और राशि की जानकारी उपलब्ध हो।
- चुनावी खर्च की सीमा तय करनी चाहिए और उसका कठोर अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए, जिसमें उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो।
- डिजिटल बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा दिया जाए ताकि सभी लेन-देन का ट्रैक रखा जा सके।
- कॉर्पोरेट और विदेशी योगदान पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाए जाएं, क्योंकि वे लोकतंत्र के लिए खतरा हैं।
- वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष जांच संस्थान का गठन किया जाए, जो बिना राजनीतिक दबाव के काम कर सके।

इन उपायों से चुनाव में धनबल के अनुचित प्रभाव को सीमित किया जा सकता है और चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष होगी।

4. मतदाता शिक्षा, सशक्तिकरण और व्यापक भागीदारी

मतदाता लोकतंत्र का मूलाधार हैं। मतदाता जागरूकता न हो तो चुनाव सिर्फ औपचारिकता बन जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि मतदाताओं को शिक्षित, सशक्त और संगठित किया जाए।

- SVEEP जैसी मतदाता शिक्षा योजनाओं को व्यापक स्तर पर लागू किया जाए, विशेष रूप से ग्रामीण, आदिवासी, पिछड़े वर्गों, महिला और युवाओं के बीच।
- स्कूलों, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थानों में लोकतंत्र, चुनाव प्रक्रिया और नागरिक कर्तव्यों पर विशेष पाठ्यक्रम अनिवार्य किए जाएं।
- डिजिटल माध्यमों से मतदाता जागरूकता बढ़ाई जाए, जैसे मोबाइल एप, सोशल मीडिया अभियानों के जरिये व्यापक प्रचार-प्रसार।
- सामाजिक और धार्मिक भेदभाव को मिटाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं, ताकि मतदान को सभी के लिए सुरक्षित, समावेशी और सम्मानजनक बनाया जा सके।
- प्रवासी और गैर-निवासी भारतीयों के लिए मतदान सुविधा बढ़ाई जाए, ताकि उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो।

मतदाता की सशक्तता से ही लोकतंत्र मजबूत होता है, क्योंकि वे बेहतर निर्णय लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों पर दबाव बना सकते हैं।

5. आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों पर रोक और न्यायिक सुधार

चुनावी अपराधीकरण ने लोकतंत्र की विश्वसनीयता को धूमिल किया है। आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों का चुनाव लड़ना आम बात हो गया है।

- आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करना चाहिए, विशेषकर जब उनके खिलाफ गंभीर आरोप न्यायालय में लंबित हों।
- आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय बनाए जाएं, ताकि निष्पक्ष और शीघ्र न्याय हो सके।
- उम्मीदवारों की सम्पूर्ण पृष्ठभूमि की जानकारी मतदाताओं को सार्वजनिक की जाए, जिससे वे सूचित निर्णय ले सकें।
- चुनाव आयोग को अधिकार दिया जाए कि वे संदिग्ध उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि पर स्वतंत्र जांच कर सके।

इससे राजनीति से अपराधीकरण की प्रवृत्ति कम होगी और जनप्रतिनिधियों की गुणवत्ता बढ़ेगी।

6. चुनावी प्रक्रिया में तकनीकी नवाचारों का समुचित उपयोग

तकनीक ने चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और सुरक्षित बनाने में मदद की है, लेकिन अभी भी तकनीक के इस्तेमाल में चुनौतियाँ हैं।

- EVM और VVPAT जैसे उपकरणों का व्यापक, पारदर्शी और विश्वसनीय इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण, शिकायत निवारण और डिजिटल मतदाता पहचान प्रणाली का विस्तार किया जाए, जिससे सभी के लिए मतदान प्रक्रिया सुगम हो।
- भविष्य में सुरक्षित ऑनलाइन मतदान (e-voting) की संभावनाओं को गंभीरता से लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएं।
- चुनाव आयोग को तकनीकी विशेषज्ञता, साइबर सुरक्षा और डेटा प्रबंधन के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।

तकनीकी सुधार से चुनावी प्रक्रिया तेज, सुरक्षित और भ्रष्टाचार मुक्त होगी।

7. आचार संहिता का कठोर पालन और सख्ती

आचार संहिता चुनावी नैतिकता बनाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन इसका पालन अभी भी कमजोर है।

- चुनाव आयोग को आचार संहिता उल्लंघन पर तुरन्त और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए अधिक अधिकार और संसाधन दिए जाएं।
- राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को चुनावी आचार संहिता का पालन कराने के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं।
- सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चुनावी प्रचार के नियमों को कड़ाई से लागू किया जाए।
- अनियमितताओं के लिए कठोर दंड और चुनाव से अयोग्यता जैसे उपाय लागू किए जाएं।

इससे चुनावी प्रक्रिया में नैतिकता आएगी और जनता का विश्वास बढ़ेगा।

8. स्वतंत्र मीडिया और नागरिक समाज की भूमिका को सशक्त बनाना

मीडिया और नागरिक समाज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, जिनकी भूमिका चुनावों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है।

- स्वतंत्र मीडिया को संरक्षण दिया जाए और उसकी भूमिका चुनावी जागरूकता और अनियमितताओं के उजागर करने में बढ़ावा दिया जाए।
- नागरिक समाज, NGOs और शैक्षणिक संस्थानों को मतदाता शिक्षा, भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों और चुनावी निगरानी में सक्रिय किया जाए।
- मीडिया के लिए चुनावी रिपोर्टिंग के नैतिक मानक बनाए जाएं ताकि वह निष्पक्ष और विश्वसनीय सूचना प्रदान कर सके।¹¹

➤ निष्कर्ष

भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसकी आत्मा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में बसती है। परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि भारतीय चुनाव प्रणाली समय के साथ अनेक चुनौतियों और आलोचनाओं का सामना करती रही है। इन समस्याओं में धनबल, बाहुबल, राजनीतिक अपराधीकरण, फंडिंग की अपारदर्शिता, और राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव जैसी गंभीर कमियाँ हैं। हालांकि पिछले कुछ दशकों में अनेक सकारात्मक चुनावी सुधार लागू किए गए हैं—जैसे EVM और VVPAT जैसी तकनीकी पहलों, उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि की घोषणा, व्यय की निगरानी, और SVEEP जैसी मतदाता शिक्षा योजनाएँ—फिर भी इन सुधारों की सीमाएँ स्पष्ट हैं। तकनीकी सुधारों से प्रक्रिया तो तेज़ और पारदर्शी हुई है, परंतु संस्थागत और वैचारिक सुधारों की दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई है। राजनीतिक दलों के स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण सुधार आंतरिक लोकतंत्र और पारदर्शिता हैं। जब तक दलों के भीतर चुनाव, उत्तरदायित्व और विचारधारा आधारित नेतृत्व विकसित नहीं होगा, तब तक बाह्य सुधारों का प्रभाव सीमित रहेगा। साथ ही, चुनावी फंडिंग की प्रणाली को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना लोकतंत्र की विश्वसनीयता के लिए अत्यावश्यक है। RTI के दायरे में दलों को लाना, इलेक्टोरल बॉन्ड की समीक्षा, और चंदा दाताओं की सार्वजनिक घोषणा जैसी पहलें इस दिशा में सहायक हो सकती हैं। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण घटक मतदाता होता है। एक जागरूक, शिक्षित और सक्रिय मतदाता ही भ्रष्ट और अपरिपक्व नेतृत्व को सत्ता से बाहर कर सकता है। इसके लिए SVEEP जैसी योजनाओं का विस्तार और युवाओं, महिलाओं, वंचित वर्गों को राजनीतिक रूप से शिक्षित और सशक्त बनाना आवश्यक है।

एक राष्ट्र, एक चुनाव, ऑनलाइन वोटिंग, और राजनीतिक दलों पर निगरानी की व्यापक प्रणाली जैसे प्रस्तावित सुधार भविष्य के लिए आवश्यक हो सकते हैं, बशर्ते उनके तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर समुचित विचार किया जाए।¹²

संदर्भ

1. भारत निर्वाचन आयोग। (2020). *चुनावी सुधार पर प्रतिवेदन*. नई दिल्ली: भारत सरकार प्रकाशन, पृ. 5–10।
2. भारत निर्वाचन आयोग। (2020). *चुनावी सुधार पर प्रतिवेदन*. नई दिल्ली: भारत सरकार प्रकाशन, पृ. 11–15।
3. चौधरी, शरद. (2021). *भारतीय चुनाव प्रणाली और सुधार*. नई दिल्ली: लोकनीति प्रकाशन, पृ. 58–65।
4. मिश्रा, अजय. (2022). *भारतीय चुनाव प्रणाली में तकनीकी नवाचार*. वाराणसी: राजकमल प्रकाशन, पृ. 72–78।
5. वर्मा, संजीव कुमार। (2023). *भारतीय चुनावी प्रणाली: सुधार और संभावनाएँ*. दिल्ली: नवल प्रकाशन, पृ. 91–96।
6. भारत निर्वाचन आयोग। (2020). *चुनावी सुधार पर प्रतिवेदन*. नई दिल्ली: भारत सरकार प्रकाशन, पृ. 39–50।
7. यादव, योगेन्द्र। (2011). *भारतीय लोकतंत्र और चुनावी सुधार*. सेमिनार पत्रिका, (626), पृ. 54–58।
8. मिश्रा, राकेश कुमार। (2022). *भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार की दिशा में पहल*. नई दिल्ली: लोकनीति प्रकाशन, पृ. 77–84।
9. भारत निर्वाचन आयोग। (2021). *लोकतांत्रिक सहभागिता और सुधार*. नई दिल्ली: भारत सरकार प्रकाशन, पृ. 42–48।
10. मिश्रा, राकेश कुमार। (2022). *भारतीय चुनावी सुधार: चुनौतियाँ और समाधान*. दिल्ली: लोकतंत्र अध्ययन केंद्र, पृ. 75–95।
11. वर्मा, राजीव कुमार। (2024). *चुनावी सुधार और लोकतंत्र की मजबूती*. नई दिल्ली: लोकसत्ता प्रकाशन, पृ. 145–175।
12. भारत निर्वाचन आयोग। (2020). *चुनावी सुधार पर प्रतिवेदन*. नई दिल्ली: भारत सरकार प्रकाशन, पृ. 82–86।